न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर –भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

श्रीमती बाली मकान नम्बर 35–318, माली मोहल्ला, वार्ड न0 62, कुन्दननगर, अजमेर जिला अजमेर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 51/**2024 आनलाईन अपील संख्या 245124372842363**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28–03–2025	**–: निर्णय :–** 1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक **26–10–2024** में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा** रेस्पोडेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील आनलाईन 30–**11–2024** को प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा** ने जरिये पत्रांक 542 दिनांक 27–03–2025 से अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के सम्बंध में उक्त पत्रांक 542 दिनांक 27–03–2025 से प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए प्रार्थी अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील की जवाब के समर्थन में अभिलेख पर मौजूद है। 4. अपीलार्थी की ओर से भी किसी प्रकार की कोई आपति एवं एतराज प्रस्तुत किया जाना अभिलेख पर मौजूद नहीं है और अपीलार्थी से किसी प्रकार की आपत्ति एवं एतराज भी प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के यहॉ अपेक्षीत राशि जमा करा कर शेष सूचना प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार यह अवधारित माना जाता है कि प्रार्थी अपीलार्थी – प्रत्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त सूचना से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 28–03–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(जसमीत सिंह संधू)** प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	